

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री आमीन पुत्र श्री बाबू खाँ, कायड विश्राम स्थली, अजमेर, निवासी: कायमपुरा स्कूल के पास, अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपरिस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.06.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	72591	HP	15.8 kg	20.8kg	5 kg	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कुश गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री रामसिंह पुत्र श्री शिवसिंह, निवासी- शाही ज्योती कॉलोनी, कायड रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपरिस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब या साक्ष्य, सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरिस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।



[Signature]
जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.03.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद सूचना के स्वयं या जरिये अभिभाषक उपस्थित नहीं आये हैं। उनके द्वारा जरिये जवाब भी प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



विश्व मोहन शर्मा
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलेक्टर
अजमेर